फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

[illegible] बनाम [illegible]

संख्या - [illegible]/2024

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]	पत्रावली पेश है। वकील प्रार्थीगण उपस्थित [illegible] [illegible] अधिवक्ता सुनी गई व [illegible] पत्रावली [illegible] अवलोकन किये जाने पर [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] निर्धारित प्रपत्र से [illegible] जारी [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	[illegible] हेतु [illegible] [illegible] 21.5.24

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:41:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

ठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
ार्थना पत्र संख्या : 19/2024
ार्णय दिनांक : 29.08.2024

चेतन यादव पुत्र श्री रामनिवास, यादव जाति अहीर निवासी ए–5, श्याम विहार कॉलीन, सांगानेर जयपुर (राज0)

वादी

बनाम

कालूराम पुत्र रामनारायण
गोपाल लाल पुत्र रामनारायण
बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री नानू
लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री नानू
श्रीनारायण पुत्र स्व श्री नानू
सीताराम पुत्र स्व श्री नानू
मस्त निवासीगण नानू बाबा की ढाणी, ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला यपुर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर पेश वाद में वादी ने निवेदन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बाबत वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि राजस्व ाम शिकारपुरा, पटवार हल्का–शिकारपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र–शिकारपुरा, तहसील–ांगानेर, जिला जयपुर (राज.) की सीमा में स्थित वादी की कृषि भूमि आराजी वर्तमान ासरा नम्बर 967 रकबा 0.22 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की कृषि भूमि वर्तमान खसरा म्बर 959 रकबा 0.68 हैक्टेयर है, प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढी के ारतारण तक विवादग्रस्त सीगा (सींव) पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का कोई भी च्चा / पक्का निर्माण नहीं करें तथा वादी के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, ब्जा–काश्त में प्रतिवादीगण कि भी प्रकार की कोई बाधा, हस्तक्षेप, व्यवधान, दाखलत, मजाहमत करने से निषेद्ध रहे तथा वादी की उक्त वर्णित कृषि भूमि में जायज प्रवेश करने, नाजायज कब्जा, अतिक्रमण करने एवं वादी की कच्ची मिट्टी की ल को ध्वस्त एवं तोडफोड करने से निषेद्ध रहे तथा अपने अपने परिवारजन, जेन्ट, सर्वण्ड, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे तथा मौके की यथास्थिति बनाई वे।

प्रार्थना दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। तेवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भौरीलाल शर्मा उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:41:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वाद पत्र में बहस उपस्थित उभपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि कि राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का–शिकारपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र–शिकारपुरा, तहसील– सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) की सीमा में स्थित वादी की कृषि भूमि आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 967 रकबा 0.22 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 959 रकबा 0.68 हैक्टेयर है, प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढी के निस्तारण तक विवादग्रस्त सीगा (सींव) पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का कोई भी कच्चा / पक्का निर्माण नहीं करें तथा वादी के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में प्रतिवादीगण कि भी प्रकार की कोई बाधा, हस्तक्षेप, व्यवधान, मदाखलत, मजाहमत करने से निषेद्ध रहे तथा वादी की उक्त वर्णित कृषि भूमि भं नाजायज प्रवेश करने, नाजायज कब्जा, अतिक्रमण करने एवं वादी की कच्ची मिट्टी की डोल को ध्वस्त एवं तोडफोड करने से निषेद्ध रहे तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेन्ट, सर्वण्ड, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे तथा मौका की यथास्थिति बनाई रखे।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाता है। वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का–शिकारपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र–शिकारपुरा, तहसील– सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) में स्थित भूमि आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 67 रकबा 0.22 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 959 रकबा 68 हैक्टेयर का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना निशिचित करे। सीमाचिन्ह निर्धारण होने के पश्चात् सीमाचिन्ह के अन्दर यदि प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप कर रहे हे तो उनको वादी की सीमा चिन्हित जमीन मे दखल नही देने बावत् पावन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
[illegible]
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:41:31 IST
Reason: SelfAttested